

एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ़
जप्ती पत्रक

थाना- एसीबी०/इओडब्ल्यू रायपुर

इकाई- एसीबी० रायपुर, जिला- रायपुर(छ०ग०)

अपराध क्रमांक- 09/2015

धारा- 13(2), 13(1)डी पी०सी०एक्ट 1988, 109, 120बी भा.द.वि.

नाम एवं पद जिससे जप्त - श्री रामदास त्रिपाठी पिता स्व० श्री सीताराम त्रिपाठी, उम्र 45 साल, निवासी-एम.आई.जी., टाईप-2/70, बोरसी, हाउसिंग बोर्ड दुर्ग (शाखा प्रबंधक छ०ग० स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, नयापारा राजिम) मोबाईल नंबर-9826156074
हाल मुकाम- मैडम चौक, सिन्हा किराना स्टोर्स के पास, गोबरा नयापारा, रायपुर छ.ग.

जप्ती स्थान - ग्राम दुलना थाना गोबरा नयापारा जिला रायपुर स्थित बाफना गोदाम जिसे छ०ग० स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किराये पर लिया गया है, गोदाम नंबर-8

दिनांक व समय - 13.02.2015 के 20.30 बजे

नाम गवाहान जिनके समक्ष जप्त किया गया

- (1) श्रीमती सुमन पटेल पति श्री मनोज पटेल, उम्र 33 साल, निवासी- मकान नंबर 9 सेक्टर-2, अवन्ति विहार, रायपुर (कनिष्ठ तकनीकी सहायक छ०ग० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम) मो०नं०-8871001711
- (2) श्री संदीप मीका पिता श्री जार्ज मार्शल मीका, उम्र 33 साल, निवासी- जिला अस्पताल के पीछे पण्डरी (संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक छ०ग० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम) रायपुर, मो०नं०-9826672562
- (3) श्री प्रेमनारायण गौरहा पिता स्व० श्री पुरुषोत्तम गौरहा, उम्र 58 साल निवासी- ग्राम सेमरा, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर हाल मुकाम-कंकाली तालाब के पीछे, ब्राम्हण पारा, रायपुर मोबाईल नंबर-9826658923 (वरिष्ठ सहायक, नागरिक आपूर्ति निगम नयापारा राजिम)

विवेचक का नाम - कादिर खान, निरीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर

विवरण

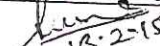
छ०ग० राज्य भण्डार गृह निगम के गोदाम नंबर-08 जिसमें 20 x 04 आकार में 15 बोरों की उंचाई में कुल 1 थप्पी (स्टेक) में रखे गये छ०ग० अमृत नमक के 1-1 किलो के करीब 50 पैकेट के करीब 1400 बोरे। थप्पी के अलग-अलग स्थान से बोरों को निकालकर कुल 20 नग पैकेट नमक सैम्पलिंग हेतु निकाला गया, निकाले गये सभी 20 पैकेट में निर्माता सूरज आयोडाईज कंपनी खाराघोड़ा गुजरात लिखा है। उपरोक्त सभी 20 पैकेट नमक का वजन तराजू बाट से, रंग, आयोडीन की मात्रा एम.बी.आई. किट से जाँच कर, तथा पॉलिथीन की डायलगेज इन्स्ट्रुमेंट से नापकर छ०ग० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के तकनीकी सहायक श्रीमती सुमन पटेल से मौके पर परीक्षण कर सैम्पलिंग कराया गया प्रत्येक पैकेट को पृथक-पृथक सीलबन्द कर श्रीमती सुमन पटेल द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र को पैकेट पर चस्पा किया गया।

उपरोक्तानुसार सभी 20 पैकेट जप्त कर कब्जे में लिये गये।

पंचगवाह के हस्ताक्षर

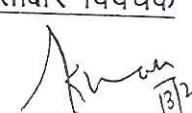
हस्ताक्षर गोदाम प्रभारी

हस्ताक्षर विवेचक

1. 
13.2.15
2. 
13.2.15
3. 
13.2.15

सत्यापन प्रति
(एस.डी.देवस्थली)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू
रायपुर (छ.ग.)

13/2/15
(RAMDAS Fulpawar)


13/2/15